

निर्णय व इजलास डॉ. जोगाराम आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 06/2020 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा एस.एम.ई.सी.सी.सी., एलआईसी डिविजनल ऑफिस विल्डिंग कैम्पस, अम्बेडकर
सर्किल, भवानी सिंह रोड, जयपुर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

- (1) मैसस श्री श्याम जनरल स्टोर प्रो. श्री गोविन्द कुमार पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल (ऋणी)
(अ) 2, श्री रामविहार, कल्याणपुरा, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर (राज.)
(ब) एफ-4, प्रथम तल, प्लॉट नं. 493, स्वर्ण विहार, मुहाना रोड, जयपुर (राज.)

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security interest
Act. 2002


उपस्थित :- श्री सत्येन्द्र खोरानियां अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

निर्णय

दिनांक 2-7-2020



1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.12.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में मैसस श्री श्याम जनरल स्टोर प्रो. श्री गोविन्द कुमार पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल के हाईपोथिकेटेड स्टॉक्स ऑफ जनरल स्टोर आईटम्स इत्यादि, एन्टायर करन्ट असेट्स एण्ड फिक्स्ड असेट्स (बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर) अर्थात् स्टॉक्स फिनिशड गुड्स, स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स, स्टॉक-इन-ट्रांजिट, सप्लाय डेटर्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक-डेब्ट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्ट्स, सिक्वोरिटीज, अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि को बन्धक कर रू. 10,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.10.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. बैंक के सुयोग्य अधिकार को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.10.2019 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में भारतीय डाक विभाग की वेबसाइट से प्राप्त ट्रेकिंग स्टेटस की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक मैसर्स श्री श्याम जनरल स्टोर प्रो. श्री गोविन्द कुमार पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल के हाईपोथिकेटेड स्टॉक्स ऑफ जनरल स्टोर आईटम्स इत्यादि, एन्टायर करन्ट असेट्स एण्ड फिक्स्ड असेट्स (बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर) अर्थात् स्टॉक्स फिनिशड गुड्स, स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स, स्टॉक-इन-ट्रांजिट, सण्डी डेटर्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक-डेब्ट्स, आउटस्टैन्डिंग, रिसेवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज, अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
4. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफतर हो।
5. आदेश आज दिनांक 2.7-2020 को सरे इजलास सुनाया गया।




(डॉ. जोगाराम)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर